22 वीं **वार्षिक महासभा बैठक** की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 की विनियमन 56 के अनुपालन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के शेयरधारकों की **22वीं (बाईसवीं) वार्षिक महासभा बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2024 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी)** केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक को अभिप्रेत स्थान) में **विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से** निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कारोबार :

मद क्र. 1

दिनांक **31 मार्च, 2024** के लेखापरीक्षित **स्टैंडअलोन एवं समेकित** तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के **स्टैंडअलोन एवं समेकित** लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक के कार्य एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अभिग्रहण हेतु.

मद क्र. 2:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर ₹ 3.60/- का लाभांश घोषित करने हेतु .

विशेष कारोबार:

मद क्र. 3

बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुरूप नवीन इक्विटी शेयर जारी कर और/ या अतिरिक्त टियर-1 /टियर-2 पूंजी को जारी करने के माध्यम से बैंक के लिए पूंजी जुटाना

विचारोपरांत उचित पाये जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना:

"**संकल्प किया कि** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (**"अधिनियम"**) की धारा 3 (2बी) के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (**"योजना"**) के खंड 20 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 (**"विनियमन"**) एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, भारतीय रिजर्व बैंक (**"आरबीआई"**), भारत सरकार (**"जीओआई"**), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (**"सेबी"**) और/ या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यधीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 [**सेबी (आईसीडीआर)** विनियमन] यथा संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 [**सेबी (एलओडीआर) विनियमन**] यथा संशोधित, सेबी (गैर-प्रवर्तनीय प्रतिभूति जारी करना एवं सूचीबद्ध करना) विनियमन, 2021, यथा संशोधित, विदेशी विनिमय प्रबंधन [भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी या अंतरण] विनियमन, 2017, यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य सभी लागू विधियों और समय-समय पर अन्य सभी सक्षम प्राधिकारियों के अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों एवं समरूप सूचीबद्धता समझौते के अधीन है. ऐसे स्टॉक एक्सेंज के साथ किए गए समरूप, करारों के अनुसरण में, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्यधीन बैंक के सदस्यों की सहमति है और एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद **"बोर्ड"** कहा जाएगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की जाने वाली समिति भी शामिल है) को एतदद्वारा प्रदान की जाती है कि वह एक या एक से अधिक बार में निम्नलिखित शर्तों के अधीन **राशि जो कि ₹ 10,000 करोड़ (रुपए दस हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो** की पूंजी का भारत या भारत के बाहर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन और/या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) प्रस्ताव दस्तावेज/प्रास्पेक्टस अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से कर सकते हैं:

- ऐसे इक्विटी शेयर और/अथवा अधिमान शेयर (चाहे संचयी या नहीं; इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हो या नहीं), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिसमें अधिमान शेयरों की श्रेणी, ऐसे प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयर जारी करने की सीमा, बेमियादी अथवा प्रतिदेय, ऐसी प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयरों को जारी किए जाने और/ या अनुमत प्रतिभूति जो इक्विटी में परिवर्तन के पात्र हैं और नकद में नहीं, के अधीन (चाहे बाजार दर, निर्गम दर या

न्यूनतम दर से छूट या प्रीमियम पर हो) राशि जो कि ₹ 6,000 करोड़ (रुपए छह हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो के इक्विटी शेयर जो ₹ 7633.60 करोड़ (रुपए सात हजार छ सौ तैतीस करोड़ एवं साठ लाख मात्र), की विद्यमान पेड-अप इक्विटी शेयरपूंजी सहित बैंक के कुल रु. 10,000 करोड़ (रुपए दस हज़ार करोड़ मात्र) की प्राधिकृत पूंजी के अधीन होंगे, जो इस धारा की 3(2ए) अथवा संशोधन (यदि कोई हो) जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, के द्वारा बढ़ाई गई सीमा के अंदर हो तथा, इसमें जो भी अधिक है, इस प्रकार कि किसी भी स्थिति में भारत के केंद्र सरकार की अंशधारिता बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो.

- निजी स्थानन/सार्वजनिक निर्गम आधार में एक या अधिक बार में ऐसी संस्था के स्थायी ऋण लिखतों, गौण ऋण पत्रों को शामिल करते हुए लेकिन इन तक ही सीमित न रहते हुए राशि जो कि अतिरिक्त टियर-I बांड के रुप में ₹ 2,000 करोड़ (रुपए दो हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो एवं टियर II बांड के रुप में ₹ 2,000 करोड़ (रुपए दो हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो, के लिए अपरिवर्तनीय ऋण, बॉन्ड और/ या अन्य ऋण प्रतिभूतियों, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्हित या वर्गीकृत टियर I या टियर II पूंजी (ग्रीन विदेशी मुद्रा नामित अतिरिक्त टियर I या टियर II बॉन्ड) के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है.

- एक अथवा अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआई"), निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, विनिवेश संस्थाओं, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) समितियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी), विदेशी संस्थागत निवेशकों (`एफआईआई`), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ़पीआई), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्युचुअल फंडों, वैकल्पिक निवेश निधि, उद्यम पूंजी निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु पात्र हैं. को पूंजी का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन और/या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) किया जाए".

"**पुन: संकल्प किया कि** इक्विटी/अधिमान शेयर प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन अर्हता प्राप्त संस्थागत (क्यूआईपी); आगे सार्वजनिक प्रस्ताव, फॉलोऑन पब्लिक निर्गम, अधिकार निर्गम, एडीआर-जीडीआर, इक्विटी/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर का निजी प्लेसमेंट, एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन योजनाएं या बैंक के एम्प्लॉयी शेयर पर्चेस स्कीम, या इनके समूहित रूप निर्गम के ऐसे अन्य माध्यम जैसे कि लागू विधि के अनुसार आबंटन सहित या बिना अधि-आबंटन या ग्रीन शू विकल्प सहित या रहित के जरिये प्रदान किया होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, एक या अधिक किस्तों में इक्विटी /अधिमान शेयर/प्रतिभूतियों का स्थापन या आबंटन, अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, सेबी आईसीडीआर विनियमन तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य पात्र दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए."

"**पुन: संकल्प किया कि** उपर्युक्त निर्गम(मों) के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार बोर्ड के पास होगा जो सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों, में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई कीमतों से कम न हों, तो लीड मैनेजरों और/ या हामीदारों और/ या अन्य परामर्शदाताओं और/या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों, अन्य विनियमनों और किसी अन्य और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों, और/या चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक के विद्यमान शेयरधारक हैं या नहीं."

"**पुन: संकल्प किया कि** संबंधित शेयर बाज़ार के साथ किए गए लिस्टिंग के प्रावधानों, विनियमनों, अधिनियम के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के प्रावधानों, सेबी (आसीडीआर) विनियमनों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण व निर्गम) विनियमन, 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), शेयर बाजार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी), वित्त मंत्रालय तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रुप में `सम्यक प्राधिकारी` कहा जाएगा) तथा उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरियां (जिन्हें इसके बाद अपेक्षित अनुमोदन कहा जाएगा) प्रदान करते समय निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अध्यधीन बोर्ड, स्थापन दस्तावेज और/ या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के जरिये तथा समय-समय पर एक या अधिक अवसरों पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जिन्हें आईसीडीआर विनियमन के अध्याय I में परिभाषित किया गया है), को अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी), जैसा कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्याय VI में उल्लेख है, के अनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों के या उस समय प्रचलित कानूनों के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों एवं निबंधनों के तहत ऐसे मूल्य एवं तरीके से इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (वारंटों को छोड़कर), जो बाद में इक्विटी शेयरों के बदले परिवर्तनीय हैं, का बोर्ड अपने सम्यक विवेक से इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन

कर सकता है कि किसी भी समय भारत के केंद्र सरकार की धारिता बैंक की इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो."

"**पुन: संकल्प किया कि** सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अध्याय VI के अनुसार पात्र संस्थागत स्थापन के मामले में :

ए) प्रतिभूतियों का आबंटन केवल (आईसीडीआर) विनियमन के अध्याय I के अन्तर्गत परिभाषित पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा. ये प्रतिभूतियां पूर्णत: प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा.

बी) सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियमन 176 (1) के प्रावधान के अनुक्रम में बैंक, सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत से अनधिक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है.

सी) प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तारीख, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अनुसार होगी."

"**पुन: संकल्प किया कि** भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं लिस्टिंग के अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के द्वारा संशोधित जैसा भी आवश्यक या लागू हो, को स्वीकार करने का बोर्ड को अधिकार होगा."

"**पुन: संकल्प किया कि** एनआरआई/एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम और आबंटन, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन द्वारा किन्तु अधिनियम एवं अन्य विनियामकों, यथालागू द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के अध्यधीन होगा."

"**पुन: संकल्प किया कि** जारी किये जाने वाले कथित इक्विटी शेयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 समय-समय पर यथा संशोधित (विनियमन) के अध्यधीन तथा बैंक के मौजूदा शेयरों के समरुप होंगे एवं लाभांश की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरुप लाभांश, यदि कोई है, के लिये पात्र होंगे."

"**पुन: संकल्प किया कि** निर्गमित इक्विटी शेयरों को, स्टॉक एक्चेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं."

"**पुन: संकल्प किया कि** इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम या आबंटन करने के लिये बोर्ड को निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, सहित सार्वजनिक निर्गम की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हों, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये, इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है."

"**पुन: संकल्प किया कि** बोर्ड यथा आवश्यक इक्विटी/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के लिये बुक रनर (रों), लीड मैनेजर (रों), बैंकर्स, अभिगोपक (कों), डिपाजिटरी (रियों), रजिस्ट्रार (रों), लेखापरीक्षक (कों) तथा अन्य ऐसी एजेन्सी, जो इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों के प्रस्ताव संबंधी कार्य में शामिल हों, को कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिये बोर्ड को अधिकृत किया जाय एवं एतदद्वारा ऐसा किया जाता है."

"**पुन: संकल्प किया कि** उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये लीड मैनेजरों, अभिगोपकों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से बोर्ड को निर्गम की शर्तें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं किया जाता है, जिसमें निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, का निर्धारण, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/ प्रतिभूतियों का कंवर्जन/ वारंट की प्रक्रिया/ प्रतिभूतियों का शोधन (रिडेम्शन), ब्याज दर, शोधन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या शोधन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम/ कंवर्जन पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, कंवर्जन की अवधि, रिकार्ड तिथि या बुक क्लोजर एवं अन्य संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/या विदेश में एक या अधिक शेयर बाजारों में लिस्टिंग, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, आदि शर्तों का निर्धारण शामिल है."

"**पुन: संकल्प किया कि** ऐसे उपरोक्त प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुए हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है ."

"**पुन: संकल्प किया कि** उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुन: ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है."

"**पुनः संकल्प किया कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी प्राधिकार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/ निदेशकों की समिति को पूंजी निधि एकत्रित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतदद्वारा किया जाता है."

मद क्र. 4:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री संजय रुद्र (डीआईएनः 09650826) की नियुक्ति

सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

"संकल्प किया गया है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के पहले प्रावधान, यथासंशोधित, को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अतंरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पढ़ा जाए एवं भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/ 1(i)/ 2023-बीओ.I दिनांक 9 अक्तूबर, 2023 के जरिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री संजय रुद्र (डीआईएनः 09650826) की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात दिनांक 9 अक्तूबर, 2023 से उनकी सेवानिवृति की तिथि (अर्थात दिनांक 30 जून, 2026) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है."

मद क्र. 5:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पंकज द्विवेदी की नियुक्ति

सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

"संकल्प किया गया है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के पहले प्रावधान, यथासंशोधित, को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अतंरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पढ़ा जाए एवं भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/ 3/ 2023-बीओ.I दिनांक 27 मार्च, 2024 के जरिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पंकज द्विवेदी की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात दिनांक 27 मार्च, 2024 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है."

मद क्र. 6:

सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

(केंद्र सरकार के अतिरिक्त **बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशकों का चुनाव करना**, जिनके संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 9(3) (i) के अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे आगे "बी आर अधिनियम" कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे आगे "स्कीम" कहा जाएगा) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 (जिसे आगे "विनियमन" कहा जाएगा) और पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के "उचित एवं उपयुक्त" मानदंड पर आरबीआई मास्टर निदेश अधिसूचना सं. डीबीआर. एपीपीटी. सं: 9/ 29.67.001/ 2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 (जिसे आगे "आरबीआई मास्टर निदेश" और इसमें आगे संशोधन, यदि कोई हो) को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में विचार के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 25 मार्च, 2015 और दिनांक 20 जुलाई, 2016 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के साथ पठित (जिसे आगे "जीओआई दिशानिर्देश" और इसमें आगे संशोधन, यदि कोई हो) के रूप में संदर्भित किया गया है और यदि उचित समझा जाए, तो निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में संशोधन(नों) के साथ या बिना संशोधन के पारित किया जाए:

"संकल्प किया कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के साथ पठित प्रासंगिक योजना, विनियमन और उसके अंतर्गत बनाई गई अधिसूचनाएं, आरबीआई मास्टर निदेश और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से दो निदेशकों को बैंक के शेयरधारक निदेशकों के रूप में चुना जाता है और वे शेयरधारक निदेशकों के पद में रिक्ति होने की तारीख से पदभार ग्रहण करने के लिए चुने जाते हैं और पदभार ग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूरी होने तक पद पर बने रहेंगे."

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

शांतनु

स्थान : मुंबई
दिनांक: 14.06.2024

(एस. के. दास)
कंपनी सचिव

नोट्स

1. **व्याख्यात्मक विवरण**

   बैठक के कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है .

2. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक का संचालन**

   ए. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र क्र.09/2023, दिनांक 25 सितंबर, 2023 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी परिपत्र") द्वारा जारी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/सीएफ़डी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/0164 दिनांक 06 अक्तूबर, 2023, सेबी/एचओ/सीएफ़डी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/0167 दिनांक 07 अक्तूबर, 2023 एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 ("सूचीबद्धता विनियमन"), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संप्रेषण क्र. ए.फ.क्र.7/47/2020-बीओए दिनांक 10 जुलाई, 2020 और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की वार्षिक महासभा (एजीएम) बैठक का संचालन वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जाए, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर सभी सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी. वार्षिक महासभा बैठक के लिए विचारणीय स्थान मुंबई में स्थित बैंक का केंद्रीय कार्यालय होगा. कारोबार मद क्र. 3 से 6 में वर्णित विशेष कारोबार अपरिहार्य होने के कारण 22वीं एजीएम में वीसी/ओएवीआईएम के माध्यम से संचालित किया जाएगा.

   बी. बैंक एमसीए परिपत्र में वर्णित सभी प्रावधानों का अनुपालन एवं पालन कर रहा है. बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं. बैंक ने बैठक की समग्रता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुरक्षा अपनाई है.

   सी. केफिन टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक) ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कारवाई जाएगी.

   डी. एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक महासभा बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाज़ार लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और साथ ही केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी.

   ई. चूंकि वार्षिक महासभा बैठक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी, इस कारण रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं होगी, जैसा कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत अपेक्षित है.

   एफ़. सभी सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित इस वार्षिक महासभा बैठक में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं जो कि वार्षिक महासभा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पहले अर्थात 10.45 [आईएसटी] पूर्वाह्न से खुली रहेगी और बैंक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित में वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने के लिए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 30 मिनट बाद विंडो बंद कर सकती है. वीसी/ओएवीएम में जुडने के लिए नोटिस पैरा क्र. 17(vii) में वर्णित विवरणों के साथ https://emeetings.kfintech.com में कृपया जुड़ें. बैठक के दौरान या उससे पहले तकनीकी से संबंधित किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 का उपयोग किया जा सकता है.

   जी. सदस्य नोट करें कि केफिनटेक द्वारा प्रदत्त वीसी/ओएवीएम सुविधा में द्विपक्षीय कॉन्फ्रेंसिंग एवं साथ ही प्रश्न पूछने के लिए पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों की सहभागिता की अनुमति होगी. बड़े शेयरधारकों (अर्थात ऐसे शेयरधारक जिनके पास 2% या इससे अधिक का शेयर होगा), प्रमोटर, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं शेयरधारक संबंध समिति, लेखा-परीक्षक, संवीक्षक आदि पहले-आओ-पहले-पाओ सिद्धान्त के कारण बिना किसी बाधा के वार्षिक महासभा बैठक में शामिल हो सकते हैं. संस्थागत निवेशक जो बैंक के सदस्य हैं, को वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 22वीं वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

   एच. वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित वार्षिक महासभा बैठक में शामिल सदस्यों की उपस्थिति की गिनती कोरम का अनुमान लगाने के उद्देश्य से की जाएगी.

   आई. वार्षिक महासभा बैठक से पहले स्पीकर शेयरधारक का पंजीकरण रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अधिकतम बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2024 को शाम 5 बजे तक किया जा सकता है. स्पीकर के रुप में पंजीकृत होने के इच्छुक शेयरधारकों से निवेदन

है कि वे ई-वोटिंग लॉगिन विवरणों का उपयोग करके https://emeetings.kfintech.com पर जाएं और इस अवधि के दौरान स्पीकर पंजीकरण पर क्लिक करें. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा बैठक के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र और समन्वय के समय बैठक के अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने तक अपनी बारी आने का इंतजार करें. बैंक स्पीकर सत्र को समाप्त या रोक सकती है; इसलिए, शेयरधारकों को सूचना पैरा सं. 14 में प्रदत्त, अग्रिम रूप से अपने पंजीकृत ई-मेल पता से अपना नाम, डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी नंबर/ फोलिओ नंबर तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रासंगिक प्रश्न इत्यादि investorservices@unionbankofindia.bank भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्न पर कार्रवाई की जाएगी एवं बैंक द्वारा उचित रूप से प्रतिउत्तर दिया जाएगा. हालांकि, यह निवेदन किया जाता है कि बैठक के दौरान प्रश्न ठीक और संक्षेप रुप से किये जाएं ताकि हम उनका उत्तर दे पाएं.

जे. वे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे वेबलिंकः https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx में अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने के बाद वार्षिक महासभा बैठक में भाग ले सकते हैं.

के. भौतिक रूप से धारित शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे **कटऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024** से पहले बैंक विवरण, ईमेल एड्रैस, पते में बदलाव आदि को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड को प्रस्तुत करें, ताकि इसे नोट किया जा सके. इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित शेयर धारक सदस्यों के संबंध में, उपर्युक्त तिथि की समाप्ति पर डिपाजिटरी द्वारा प्रदत्त ब्यौरे पर बैंक द्वारा विचार किया जाएगा. इसलिए, शेयर धारित सदस्य नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए यथाशीघ्र अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करेंगे.

3. परोक्षी की नियुक्ति

एमसीए के परिपत्रों के क्रम में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, अतः परोक्षी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी. तद्नुसार, वार्षिक महासभा बैठक के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1998 के विनियमन 70(vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. इस कारण, परोक्षी की नियुक्ति के संबंध में लिखत एवं उपस्थिति स्लिप को इसके साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है. तथापि, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग, वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा संचालित वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता तथा वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग के उद्देश्य से सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है.

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कंपनी या कोई निकाय, निगम, जो बैंक का शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, को investorservices@unionbankofindia.com पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **शनिवार, दिनांक 20 जुलाई, 2024** को कार्य-समाप्ति अर्थात **शाम 5.00 बजे** तक या उससे पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जाता है.

5. बुक क्लोज़र

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही, एजीएम के लिए तथा लाभांश के भुगतान, यदि शेयरधारकों द्वारा घोषित किया जाता है, के लिए **शनिवार, दिनांक 20 जुलाई, 2024 से शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2024** (दोनों दिनों को मिलाकर) तक बंद रहेगी.

6. अदावाकृत /अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदत्त लाभांश के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) से उक्त पते पर अथवा निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क करें.

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/ अदत्त रहने पर 30 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर उन्हें "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित कर दिया जायेगा.

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षो तक अदावाकृत/ अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है. जबकि, बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 (अन्तरिम) तक के अदत्त लाभांश को आईईपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है, वित्त वर्ष 2013-14 (अंतिम) से अवैतनिक लाभांश के विवरण के लिए, शेयरधारक बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत अवैतनिक लाभांश

खोज सुविधा पर जा सकते है: https://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend/GUIs/CustomerList.aspx अवैतनिक लाभांश का दावा करने की प्रक्रिया और अपेक्षित फॉर्म भी उपरोक्त लिंक पर उपलब्ध कराए गए हैं.

7. **पता/ बैंक विवरण/ बैंक खाता अधिदेश/ नामांकन का परिवर्तन**

सदस्यों से अनुरोध है कि उनके नाम, पोस्टल पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिशेषों, नामांकनों, मुख्तारनामा, बैंक विवरणों जैसे बैंक का नाम तथा शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफ़एससी कोड, आदि में परिवर्तन, यदि कोई हो, को सूचित करें,

ए. इलेक्ट्रानिक फॉर्म में धारित शेयर के लिए : डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) हेतु

बी. भौतिक फॉर्म में धारित शेयर के लिए: बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट (आरटीए) हेतु निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 में तथा सेबी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 03 नवंबर, 2021 में निर्दिष्ट अन्य फॉर्म. बैंक ने वांछित विवरणों को प्रदत्त करने के लिए कारोबार रिप्लाइ एनवेलप (बीआरई) सहित पत्रों को भेजा है.

सी. उक्त सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनुरूप, सदस्यों द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है. जिन सदस्यों ने अपना नामांकन पंजीकृत नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि फॉर्म एसएच-13 जमा कर इसे पंजीकृत करें. यदि कोई सदस्य अपना नामांकन वापस लेना चाहता है या पूर्ववर्ती नामांकन को रद्द करना चाहता है तथा नवीन नामांकन रिकॉर्ड करना चाहता है, वह फॉर्म आईएसआर-3 या एसएच-14, जैसा भी मामला हो, में इसे जमा कर सकते हैं. सदस्यों से अनुरोध है कि यदि सदस्यों द्वारा धारित शेयर अमूर्तीकृत रूप में हैं तथा बैंक के आरटीए में शेयरों के भौतिक रूप में धारित किए जाने की स्थिति में, उक्त विवरणों को उनके डीपी में प्रस्तुत करें.

बैंक के आरटीए का पता :

केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड.,

यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,

सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबावली,

फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुड़ा

हैदराबाद 500 032

दूरभाष.: 040 67162222.

डी. उपरोक्त वर्णित फॉर्म बैंक के वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english/important-announcement-to-physical-shareholders.aspx में उपलब्ध हैं.

ई. इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में शेयर धारित करने वाले शेयधारकों को बैंक को या बैंक के आरटीए के स्थान पर केवल उनके संबंधित डिपोजीटरी प्रतिभागी को पते में परिवर्तन करने का सुझाव भेजना चाहिए.

एफ़. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक या बैंक के आरटीए से किसी संप्रेषण में सदा उनके संबंधित फोलियो नंबर/नंबरों (भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले) तथा उनके संबंधित डीपी आईडी/क्लाईंट नंबर (इलेक्ट्रोनिक/डिमेट रूप में धारित करने वाले) का उल्लेख करें.

8. **निवेशक सेवा अनुरोध और शेयरों के हस्तांतरण जारी करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण के मामले में अमूर्तीकृत रूप में प्रतिभूतियों को जारी करना**

सदस्य कृपया यह नोट करें कि सेबी ने अपने परिपत्र क्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निम्न सेवा अनुरोध को प्रसंकृत करने के दौरान पुष्टिपत्र के जरिये केवल अमूर्तीकृत रूप में सूचीबद्ध ईकाइयों को प्रतिभूतियां जारी करने को अधिदेशित किया है.

- अनुलिपि प्रतिभूतियाँ प्रमाणपत्र जारी करना;
- अदावाकृत उचंत खाते से दावा;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीकरण/ विनिमय;
- पृष्ठांकन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/ विभाजन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र /फोलियो का समेकन;
- प्रेषण तथा प्रतिस्थापन.

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त सेवा अनुरोध के लिए फॉर्म आईएसआर 4 को विधिवत भर कर तथा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें, जिसका प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english/issuance-securities.aspx में उपलब्ध है. यह नोट किया जाए कि कोई भी सेवा अनुरोध केवाईसी अनुपालित होने पर ही प्रसंस्कृत किया जा सकता है. शेयरधारकों से भी अनुरोध है कि शेयरों के अतंरण एवं डुप्लीकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकृत प्रक्रियाओं का पालन करें.

9. स्थिति में परिवर्तन की रिकार्डिंग

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के आरटीए- केफिन टेक्नोलॉजी लि. को तत्काल सूचित करें:

ए) स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.

बी) भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरुप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित आदि, यदि पहले न दिया गया हो.

10. वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

प्राधिकारियों द्वारा अनुमत के अनुरूप, वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 की प्रतियाँ भौतिक रूप में प्रेषित नहीं की जाएंगी तथा यह ई-मेल के माध्यम से केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिन्होंने बैंक या डिपोजिटरी प्रतिभागी के पास अपने ई-मेल आईडी को पंजीकृत किया है. वार्षिक रिपोर्ट बैंक के वेबसाइट तथा शेयर बाज़ार में भी अपलोड किया जाएगा. ईमेल आईडी को अद्यतन करने हेतु शेयरधारक भौतिक शेयर के मामले में रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट या डिमेट रूप शेयर के मामले में डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क कर सकते हैं.

11. कट ऑफ तिथि

शेयरधारक निदेशक के चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के उद्देश्य से:

वे शेयरधारक जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों के रजिस्टर/लाभार्थी के रूप में कारोबारी समय की समाप्ति अर्थात **शुक्रवार, दिनांक 28 जून, 2024** को दर्ज हैं, वे चुनाव में भाग लेने के पात्र होंगे अर्थात नोटिस के कारोबारी मद संख्या 6 में उल्लिखित केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से दो निदेशकों चुनाव में नामांकन और चुनाव लड़ने के पात्र होंगे.

ई-वोटिंग के लिए:

कंपनी डप्रबंधन एवं प्रशासन. नियम, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित, के अनुसार कारोबार मद क्र. 1 से 6 के संबंध में शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों को **शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024** को मान्यता दी जाएगी.

12. लाभांश का भुगतान

यदि लाभांश, निदेशक मण्डल द्वारा संस्तुत के अनुरूप, एजीएम में घोषित होता है, तो स्त्रोत पर कर की कटौती के अधीन ऐसे लाभांश का भुगतान सोमवार, दिनांक 5 अगस्त, 2024 से निम्न के अनुसार किया जाएगा:

- नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") संयुक्त रूप से डिपॉजिटरीज़ के पास **शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024** के अंत तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अमूर्तीकृत रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभप्रद स्वामियों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा.

- उन सभी सदस्यों को जिनके पास बैंक के शेयर भौतिक रूप में उपलब्ध है और उन्होंने वैध प्रेषण या प्रतिस्थापन अनुरोध को **शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2023** को कारोबार अवधि की समाप्ति तक बैंक के साथ दर्ज किया है.

वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के लिए लाभांश आय कर योग्य होगा तथा बैंक को प्रति शेयर धारक आधार पर ₹ 5000 से अधिक राशि के लाभांश पर पैन आधार पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर `स्त्रोत पर कर' की कटौती करने की आवश्यकता है. विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, वित्त अधिनियमन, 2020 और उसके संशोधनों का संदर्भ लें. शेयरधारकों से निवेदन है कि वे वैध पैन को डीपी (यदि शेयर डीमैट रूप में धारित है) और बैंक / बैंक के आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है) के साथ अद्यतित करें.

13. वोट देने का अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार के अलावा, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकारी नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जो कट ऑफ तारीख अर्थात शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, प्रत्येक शेयर के लिये एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के विनियमन 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जायगा. इस प्रकार यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही वोट देने का अधिकारी भी होगा.

14. लेखों एवं इससे संबद्ध अन्य शंकाओं के संबंध में जानकारी

जो शेयरधारक लेखों एवं इससे संबद्ध अन्य शंकाओं पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं उनसे, अनुरोध है कि वे बैंक को investorservices@unionbankofindia.bank पर मेल करें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख के पूर्व बैंक को दिनांक 24 जुलाई, 2024 को शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि प्रबंधन द्वारा यह सूचना तैयार रखी जा सके. जवाब केवल एजीएम के दौरान ही दिए जाएंगे. कृपया नोट करें कि केवल उन्हीं सदस्यों के प्रश्नों के जवाब किए जाएंगे जो कट-ऑफ तारीख यथा दिनांक 19 जुलाई, 2024 को शेयरधारक हैं.

साथ ही, जिन शेयरधारकों के पास कट-ऑफ तारीख को शेयर उपलब्ध हैं वे https://emeetings.kfintech.comवेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं और **"post your queries here"** पर क्लिक करके प्रश्न/शंकाओं को पोस्ट कर सकते हैं. रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, विंडो सक्रिय हो जाएगा और दिनांक 24 जुलाई, 2024 को शाम 5 बजे बंद हो जाएगा.

15. भौतिक धारिता का अमूर्तीकरण

सेबी ने दिनांक 24 जनवरी, 2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अनिवार्य किया है कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और हस्तांतरण के अनुरोधों को केवल अभौतिक रूप में संसाधित किया जाएगा. इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और डीमैटरियालैजेशन के विभिन्न लाभों को उठाने के लिए, सदस्यों को सलाह दिया जाता है कि वे भौतिक रूप में उनके द्वारा रखे गए शेयरों को डीमैटरियालाइज करें. सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए बैंक या बैंक के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं.

16. सूचना में प्रदर्शित कार्यवाही को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पूरा किया जाएगा और बैंक इलेक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रहा है:

i. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित), के नियम 20, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("आईसीएसआई") द्वारा साधारण बैठक पर जारी सचिवालय मानक (एसएस-2) तथा एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के साथ लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक सहर्ष सूचित करना चाहता है कि वार्षिक महासभा में कार्यवाही की सुविधा प्रदान करने के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और वार्षिक महासभा में शामिल सदस्य बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की गई है.

ii. वोटिंग की सुविधा वार्षिक महासभा में रहेगी और इस बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारक अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है .

iii. जिन शेयरधारकों ने वार्षिक महासभा से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक महासभा में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दोबारा वोट नहीं कर सकेंगे .

iv. वार्षिक महासभा से पूर्व निर्धारित समयावधि के दौरान इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का प्रयोग कर शेयरधारक द्वारा वोट डालने की सुविधा एवं वार्षिक महासभा के दौरान वोटिंग की सुविधा केफिनटेक द्वारा प्रदान की जायेगी.

v. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, **दिनांक 23 जुलाई, 2024 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी)** से प्रारम्भ होकर **गुरुवार, दिनांक 25 जून, 2024 (शाम 5.00 बजे आईएसटी)** तक रहेगी. बैंक के शेयरधारक इस अवधि के दौरान, वोटिंग के लिए कट ऑफ तारीख **शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024** को भौतिक या डि-मटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, कार्यसूची 1 से 6 के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं. इस अवधि के बाद केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को बन्द कर दिया जाएगा. शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी. मद क्र. 6 के लिए, केंद्र सरकार को वोटिंग का अधिकार नहीं है.

vi. ऐसा व्यक्ति जो वार्षिक महासभा बैठक की सूचना भेज कर बैंक का सदस्य बनता है एवं कटऑफ तिथि अर्थात **शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024** को शेयर धारित करता है, वह बैंक की ई-मेल investorservices@unionbankofindia.bank पर शेयरधारक के प्रामाणिक साक्ष्य भेज कर याकेफिनटेक evoting@kfintech.com को रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति से पहले अर्थात **दिनांक 25 जुलाई, 2024 सायं 5.00 बजे से पूर्व** लिख कर निम्नलिखित वर्णित तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं.

vii. रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग निम्नानुसार है:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जानेवाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरीज या डिपॉजिटरी सहभागी के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनमुति है. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अपडेट करें.

(डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले) वैयक्तिक शेयरधारकों डिपॉजिटरी के जरिए लॉगिन.

एनएसडीएल	सीडीएसएल
1. आईडीईएएस सुविधा के लिए उपयोगकर्ता पहले ही पंजीकृत है :	**1. विद्यमान उपयोगकर्ता जिसके पास ईजी/इजीयरस्ट का विकल्प है**
I. यूआरएल : https://eservices.nsdl.com II. "आईडीईएएस" सेक्शन में "बेनीफिसियल ओनर" आइकॉन को क्लिक करें. III. नए पेज पर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्रविष्टि करें. सफल प्रमाणीकरण के बाद, "एक्सैस टु ई-वोटिंग " पर क्लिक करें. IV. कंपनी अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ई-वोटिंग अवधि के दौरान आप वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे .	I. यूआरएलः https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा यूआरएलः www.cdslindia.com II नई प्रणाली माइईजी पर क्लिक करें. III. उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करें. III. आगे बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा. V. अपना वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें.
2. उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवा के लिए पंजीकृत न हो	**2. उपयोगकर्ता ईजी/इजीयरस्ट ई-सेवा के लिए पंजीकृत न हो**
I. पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें : https://eservices.nsdl.com II. "आईडीईएएस" के लिए " ऑनलाइन पंजीयन " चुने III. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें .	I. पंजीकरण का विकल्प पर लिंक उपलब्ध है https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Registration/EasiRegistration II. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें .
3. उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवा के लिए पंजीकृत न हो	**3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वैबसाइट पर जाकर**
I. पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp II. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें.	I. यूआरएल:www.cdslindia.com II. डि-मैट खाता एवं पैन संख्या प्रदान करें. III. सिस्टम पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल, जैसा डि-मैट खाते में रिकॉर्ड है, पर ओटीपी भेट कर उपयोगकर्ता को प्रमाणीकृत करेगा. IV. फल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी (ई-वोटिंग सेवा प्रदाता) के लिए लिंक उपलब्ध कराएगा जहां पर ई-वोटिंग चल रही है.
4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वैबसाइट जाकर्रे	
I. यूआरएलः https://www.evoting.nsdl.com/ II. "अशंधारक / सदस्य" सेक्शन में उपलब्ध " लॉगिन " आइकॉन को क्लिक करें. III. उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात एनएसडीएल के साथ 16- अंकों का डि-मैट खाता संख्या), पासवर्ड / ओटीपी एवं प्रमाणीकरण कोड, जैसा की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रविष्ट करें. IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप एनएसडीएल डिपोजिटिरी साइट पर पहुँच जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग का पेज देख सकते हैं. V. कंपनी अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ई-वोटिंग अवधि के दौरान आप वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वैबसाइट पर पहुँच जाएंगे.	

महत्वपूर्ण नोट:

सदस्य, जो अपना यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपसे अनरोध है कि उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी भूल गए / पासवर्ड भूल गए के विकल्प का उपयोग करें.

22 वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क

एनएसडीएल के सदस्य को किसी भी तकनीकी समस्या के लिए	सीडीएसएल के सदस्य को किसी भी तकनीकी समस्या के लिए
लॉगिन के दौरान तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क पर evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते है.	लॉगिन के दौरान तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज कर या 022- 23058738 और 22-23058542- 43 पर सपंर्क कर सकते हैं.

(डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले) वैयक्तिक शेयरधारकों – डिपॉजिटरी पार्टिसीपेंट के जरिए लॉगिन.

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं. एकबार लॉगिन करने पर, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के उपरांत आपको सफल अधिप्रमाणन के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करने पर आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा.

भौतिक स्वरूप से धारित प्रतिभूतियों के शेयरधारकों एवं गैर–वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति

ए. ईमेल के मसौदे में प्रारंभिक पासवर्ड प्रदान किया गया है.

बी. इंटरनेट ब्राउज़र खोले और एड्रेस बार में https://evoting.kfintech.com यूआरएल टाइप करें.

सी. आपके ई-मेल आईडी में प्रेषित लॉगिन विवरण अर्थात यूज़र आईडी और पासवर्ड डालें. आपका फोलियो नं./डीपी आईडी क्लाईंट आईडी ही आपका यूज़र आईडी होगा. तथापि, यदि आपने ई-वोटिंग के लिए पहले से ही केफिनटेक में पंजीकरण कर रखा है तो वोट देने के लिए आप अपना मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं.

डी. उचित तरीके से विवरण भरने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें.

ई. आप पासवर्ड चेंज मेन्यू में पहुंच जाएंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से पासवर्ड बदलना पड़ेगा. नये पासवर्ड में न्यूनतम 8 कैरक्टर होने जरूरी है जिसमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक अंकीय मान (0-9) और एक विशेष कैरक्टर (@,#,$ आदि) होने चाहिए. यह अवश्य ध्यान रखें कि आप अपना पासवर्ड किसी से साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.

एफ़. आपको नए विवरण के साथ पुनः लॉगिन करना पड़ेगा.

जी. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, सिस्टम तुरंत आपको EVENT अर्थात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चयन करने के लिए निर्देशित करेगा.

एच. वोटिंग पेज पर, कट ऑफ की तारीख तक आपके पास कितने शेयर (जो आपके वोटों की संख्या दर्शाएगा) थे स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा. यदि संकल्प के लिए आप अपने सभी वोट स्वीकृत/अस्वीकृत में देना चाहते हैं तो यथास्थिति सभी शेयर की प्रविष्टि करें और `FOR`/`AGAINST` पर क्लिक करें या आंशिक रूप से `FOR` एवं आंशिक रूप से `AGAINST` में, लेकिन कट ऑफ तारीख तक `FOR` और/या `AGAINST` में की गई वोटों की कुल संख्या आपके कुल शेयरधारण से अधिक नहीं होनी चाहिए. आप `ABSTAIN` विकल्प का भी चयन कर सकते हैं और धारित शेयर की गणना दोनों में से किसी एक शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी.

आई. `SUBMIT` बटन पर क्लिक करें. एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा. पुष्टि हेतु `OK` पर क्लिक करें या संशोधित करने के लिए `CANCEL` को क्लिक करें. एक बार पुष्टि हो जाने के बाद आपको अपने वोट में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी. वोटिंग अवधि के दौरान जब तक आप पुष्टि नहीं करते कि संकल्प पर आपने वोट किया है, तब तक आप अनेक बार लॉगिन कर सकते हैं.

जे. ऐसे सदस्य जिनके विविध फोलियो/डिमेट खाते हैं प्रत्येक फोलियो/डिमेट खाते के लिए अलग से वोटिंग की प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं.

के. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य (अर्थात वैयक्तिक के अतिरिक्त, एचयूएफ़, एनआरआई आदि) से अपेक्षित है कि सुसंगत बोर्ड

संकल्प / प्राधिकृत पत्र आदि की प्रमाणित सही प्रतिलिपि की स्कैन ईमेज (पीडीएफ़/जेपीजी प्रारूप) के साथ-साथ विधिवत हस्ताक्षरित अधोहस्ताक्षरी, जो mail@csraginichokshi.com ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को वोट देने के लिए प्राधिकृत है, का अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर प्रेषित करें और अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी इसे अपलोड करें. उपर्युक्त दस्तावेजों की स्कैन प्रति का नाम `EVENT.....` के प्रारूप में रखें.

viii. ई-वोटिंग से संबंधित मामले में किसी प्रकार की शंका या पूछताछ होने की दशा में हेल्प सेक्शन में, https:/ /evoting.Kfintech.com पर उपलब्ध "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफ़एक्यू) और ई-वोटिंग मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं या 1800 309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल करें.

ix. इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से संबंधित समस्त शिकायतों के लिए केफिनटेक में संपर्क कर सकते हैं या evoting@kfintech.comपर ई-मेल भेंजे या 1800309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

x. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ की तारीख अर्थात **शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024** को शेयरहोल्डर के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वहीं व्यक्ति रिमोट ई- वोटिंग या वोटिंग द्वारा वार्षिक महासभा बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा.

xi. संयुक्त धारक के मामले में शेयर के प्रथम धारक को लॉगिन आईडी/यूजर आईडी एवं पासवर्ड का ब्यौरा भेजा जाएगा. तदनुसार, प्रथम धारक को प्रेषित यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर वोट को सभी संयुक्त धारकों की ओर से माना जाएगा क्योंकि शेयरधारक जो केफिनटेक की रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से वोट करता है, का सभी संयुक्त धारकों की ओर से प्रयुक्त किया जाएगा. प्रथम धारक को ही शेयर धारक माना जाएगा, जिसका नाम शेयरों के सापेक्ष पंजीकृत किया गया है.

xii. केवल वोट करने के पात्र शेयरधारक ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसा व्यक्ति जिसके पास वोट करने का कोई अधिकार नहीं है उसके लिए यह नोटिस को केवल एक सूचना माना जाना चाहिए.

xiii. मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी द्वारा सुश्री रागिनी चोकसी या श्री उमा शंकर हेगड़े., पेशेवर कंपनी सचिव की नियुक्ति जांचकर्त्ता के रूप में की गयी है ताकि वे सत्य एवं पारदर्शी ढंग से रिमोट की वोटिंग कार्यपद्धति की जांच कर सकें.

xiv. वार्षिक महासभा बैठक शुरु होने के बाद बैठक के अध्यक्ष द्वारा वहां उपस्थित उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.

xv. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक महासभा में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम दो कार्यदिवसों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर, यदि कोई हो, बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी.

17. वोटिंग के परिणाम

वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग के समेकित परिणाम, जांचकर्ता की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा केफिनटेक की वेबसाइटः https://evoting.kfintech.com उपलब्ध करा दिया जायेगा. वोटिंग परिणाम एवं समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट को स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाएंगे.

18. बैठक में ई वोटिंग के लिए जांचकर्ता

ई-वोटिंग के संबंध में जैसा पहले ही इंगित किया है कि सभी कारोबार मद के लिए मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी की सुश्री रागिनी चोकसी या श्री उमा शंकर हेगड़े, पेशेवर कंपनी सचिव, जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे. वे बैठक में अन्य शेयरधारक के ई-वोटिंग के लिए भी जांचकर्ता के रुप में कार्य करेगें.

19. बैठक का परिणाम

बैंक के केंद्रीय कार्यालय में वार्षिक महासभा बैठक की तिथि से संकल्प के पक्ष में आवश्यक वोटों की संख्या की प्राप्ति के अध्यधीन संकल्प (पों) को पारित माना जाएगा.

20. रिकॉर्ड की गई ट्रांस्क्रिप्ट

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से हुई वार्षिक महासभा की कार्यवाही को बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in के निवेशक संबंध अनुभाग के अधीन यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा.

22 वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

21. शेयरधारक निदेशक के उम्मीदवार के लिए पात्रता

उम्मीदवार को अधिनियम की धारा 9 (3ए) में निर्धारित योग्यताएं पूरी करनी होंगी तथा योजना के खंड 10 में निर्दिष्ट अयोग्यताएं नहीं होंगी तथा उसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के विनियमन 65 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

(ए) अधिनियम के धारा 9(3 ए) के अनुसार, उम्मीदवार जो बैंक के शेयरधारक होने के नाते, अधिनियम के धारा 9(3)(1) के तहत बैंक के निदेशक के रूप चुने जाने की इच्छा रखता है तो

(ए) निम्नलिखित एक या एक से अधिक विषयों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए अर्थात्:

- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- को-ऑपरेशन
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव होना, जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो.

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो ; या

(सी) किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

(बी) आरबीआई अधिसूचना और अधिनियम की धारा 9(3एए) के अनुसार, बैंक का शेयरधारक होने के नाते और बैंक के निदेशक चुने जाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार को उचित एवं उपयुक्त स्थिति में होना चाहिए.

(सी) इसके अतिरिक्त चयनित निदेशक को अनुबंध विलेख को निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाओं को प्रस्तुत करना होगा.

22. बैंक के निदेशक रूप में चयनित होने की निरर्हता:

ए. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 10 के अनुसार, व्यक्ति बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने के लिए अपात्र होगा यदि:

ए) यदि उसे किसी समय दिवालिया घोषित किया गया हो या भुगतान निलंबित किया गया हो या ऋणदाताओं के साथ गलत समझौता किया हो ; या

बी) यदि उसे विकृत चित्त पाया गया हो और सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है; या

सी) यदि उसे नैतिक भ्रष्टता जैसे अपराध के लिए दंड न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया हो ; या

डी) यदि उसने किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक, 1955 के धारा 3 के उप धारा (1) या भारतीय स्टेट बैंक(सहयोगी बैंकों) अधिनियम,1959 के धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक में अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड ई और एफ़ के तहत बैंक के कर्मचारियों में से प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक लाभ का पद ग्रहण किया हो.

और

यदि उसे भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना-डीबीओडी न. बीसी न 46/29.39.001/2007-08, दिनांक 01 नवंबर 2007 और सं.डीबीओडी.बीसी. 95/29.39.001/2010-11, दिनांक 23 मई, 2011, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए `उचित और उपयुक्त` जारी आरबीआई मास्टर निदेश, दिनांक 2 अगस्त, 2029 की अधिसूचना संख्या डीबीआर.एपीपीटी. सं.9/29.67.001./2019-20 के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की 24 नवंबर, 2016 की संख्या डीबीआर.एपीपीटी. सं.39/29.39.001/2016-17(जिसे आगे "आरबीआई अधिसूचना" कहा जाएगा और इसमें आगे संशोधन यदि कोई हो) और भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 3 सितंबर की अधिसूचना संख्या एफ.सं.16/83/2013-बीओ.आई के माध्यम से जारी किए गए. भारत सरकार के दिनांक 28 अप्रैल, 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 के एफ.सं. 2013, एफ.

सं.16/51/2012-बीओ.आई जिसे दिनांक 25 मार्च, 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचार करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के साथ पठित (जिसे आगे "भारत सरकार के दिशानिदेश" और इसके आगे संशोधन, यदि कोई हो, के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अनुसार `उचित एवं उपयुक्त` व्यक्ति नहीं पाया जाता है.

23. शेयरधारकों की सूची

दिनांक 28 जून, 2024 यथा बैंक के शेयरधारकों की सूची दिनांक 2 जुलाई, 2024 से 11 जुलाई, 2024 तक बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, जिसके लिए रु. 50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) का भुगतान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट शाखा के बैंक खाता संख्या 378901010036984, आईएफएससी UBIN0537896 में ऑनलाइन अंतरण करके या "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया" के पक्ष में मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ-साथ बैंक के केंद्रीय कार्यालय 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021, महाराष्ट्र राज्य में निवेशक सेवाएं विभाग के कंपनी सचिव को संबोधित अनुरोध के साथ नामांकन फॉर्म अंतिम तिथि अर्थात 27 जुलाई, 2021 तक जमा किया जाना चाहिए. तथापि, इच्छुक उम्मीदवार अपने खर्च पर सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण भी कर सकते हैं और वहां से अंश ले सकते हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि **शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 शाम 5.00 बजे** तक है.

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, बैंक के शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए, जिसके लिए कट-ऑफ तिथि यानी **दिनांक 19 जुलाई, 2024** तय की गई है, वे सभी शेयरधारक जिन्होंने **दिनांक 11 जुलाई, 2024** तक अपेक्षित राशि का भुगतान करके बैंक के शेयरधारकों की सूची ले ली है, वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किए **19 जुलाई, 2024** तक शेयरधारकों की अद्यतन सूची प्राप्त कर सकते हैं.

सदस्यों का रजिस्टर शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण के लिए बैंक के मुंबई स्थित निवेशक सेवाएं विभाग में **दिनांक 6 जुलाई 2024 से 11 जुलाई 2024** तक सभी कार्य दिवसों में दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच खुला रहेगा, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को सदस्यों के रजिस्टर में किसी भाग का उद्धरण लेने अथवा प्रत्येक 1000 शब्द या उसके भाग के लिए 5 रुपये की दर से गणना की जाने वाली राशि के पूर्व भुगतान पर बैंक से संबंधित भागों में कंप्यूटर प्रिंट के लिए अनुरोध करने की सुविधा प्रदान करना है.

24. नामांकन

i) नामांकन की वैधता

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियमन, 1998 के विनियमन 65 के अनुसार, तथा भारतीय रिजर्व बैंक-डीबीओडी की अधिसूचना के अनुसार. सं. बीसी सं.46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर 2007, सं.डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11, दिनांक 23 मई 2011 और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड पर आरबीआई मास्टर निदेश अधिसूचना सं.डीबीआर.एप्ट. सं.9/29.67.001/2019-20, दिनांक 2 अगस्त 2019 और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और विभिन्न अधिनियमों, नियमों, विनियमन और दिशा-निर्देशों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा बशर्ते:

(ए) वह **दिनांक 28 जून, 2024** तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में न्यूनतम 100 शेयर या तो भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक/डीमैटेरियलाइज्ड मोड में रखने वाला शेयरधारक हो, और **दिनांक 26 जुलाई, 2024** तक न्यूनतम 100 शेयर रखें हो एवं उसके बाद यदि वह निर्वाचित हुआ/हुई है, कार्यकाल की समाप्ति तक शेयर धारण करना जारी रखते हैं.

(बी) नामांकन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक, वह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 और अधिसूचना सं. डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर 2007, सं. डीबीओडी.बीसी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई 2011 और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीआर.एपीपीटी.सं.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए ' उचित और उपयुक्त ' मानदंड पर आरबीआई मास्टर निदेश के तहत निदेशक होने से अयोग्य नहीं है.

(सी) उनके द्वारा रखे गए शेयरों के संबंध में कोई कॉल इन एरियर नहीं है.

(डी) नामांकन अधिनियम के तहत निदेशकों को चुनने के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके विधिवत् गठित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में है, बशर्ते कि शेयरधारक द्वारा जो एक कंपनी है, उक्त कंपनी के निदेशकों के एक संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकता है और जहां यह इस प्रकार किया जाता है, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित संकल्प की एक प्रति, जिसमें इसे पारित किया गया था, कंपनी सचिव, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021, महाराष्ट्र राज्य को भेजा जाएगा, और ऐसी प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा.

(ई) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा नामांकन के साथ उम्मीदवार द्वारा एक घोषणा भी संलग्न है, जो इस नोटिस में प्रस्तुत नामांकन और घोषणा के नमूना फॉर्म के अनुसार है, जिस पर उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं, कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव में खड़ा होने के लिए इच्छुक है, और वह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 के तहत निदेशक होने से अयोग्य नहीं है और वे इस नोटिस में प्रस्तुत नामांकन और घोषणा के नमूना प्रपत्रों के अनुसार हैं.

(एफ) नामांकन फॉर्म और घोषणा फॉर्म विनियमन द्वारा निर्धारित और संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार हैं (प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है. ई-मेल आईडी investorservices@unionbankofindia.bank है.

ii) नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करना

निदेशक के चुनाव लड़ने के इच्छुक तथा ऊपर उल्लिखित शर्तों के अनुसार योग्य शेयरधारक कृपया प्रस्तुत करें

(ए) न्यूनतम 100 शेयरधारकों के नामांकन तथा उम्मीदवार की ओर से विनियमन के तहत निर्धारित घोषणा तथा ऊपर (डी) (ई) (एफ) में उल्लिखित घोषणा पत्र को एक अलग सीलबंद लिफाफे में बैंक के केंद्रीय कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 - महाराष्ट्र राज्य में निवेशक सेवाएं विभाग के कंपनी सचिव को सभी तरह से पूर्ण, संबंधित दस्तावेजों के साथ बैठक की तिथि से कम से कम 14 कार्य दिवस पहले, अर्थात **शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई, 2024 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले** प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

(बी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उचित और उपयुक्त स्थिति पर विचार करने के लिए उपलब्ध कराए गए प्रोफार्मा के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनबद्धता (पीडीयू फॉर्म), एक अलग सीलबंद लिफाफे में, बैंक के केंद्रीय कार्यालय 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021, महाराष्ट्र राज्य में कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग को संबोधित करते हुए, सभी तरह से पूर्ण, संबंधित दस्तावेजों के साथ, बैठक की तिथि से कम से कम 14 दिन कार्य दिवस पहले, यानी **शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई, 2024 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले**, यानी नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पहले, ताकि बैंक के निदेशक मंडल की नामांकन समिति भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार उचित और उपयुक्त स्थिति का पता लगा सके, जैसा कि इस नोटिस में उल्लिखित विवरण में बताया गया है.

iii) उम्मीदवारी वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह बैंक बंद होने के पहले किसी भी समय, यानी **शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2024 को शाम 5 बजे तक या उससे पहले** कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12वीं मंजिल, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 को संबोधित पत्र भेजकर या स्कैन करके हस्ताक्षरित पत्र ई-मेल के माध्यम से investorservices@unionbankofindia.com पर भेजकर ऐसा कर सकता है.

25. जांच और निदेशकों का चुनाव.

(ए) नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के बाद, बैंक द्वारा पहले कार्य दिवस अर्थात **सोमवार, 15 जुलाई, 2024** को नामांकन की जांच की जाएगी, और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसका कारण रिकार्ड करते हुए, नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा.

(बी) वैध नामांकनों की जांच आरबीआई के निदेशों और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) / निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी. चूंकि आरबीआई के

निदेशों और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध प्रकृति में समान हैं, इसलिए बैंक उम्मीदवारों की उचित और उपयुक्त स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में से अधिक सख्त पर विचार कर सकता है.

(सी) बैंक नामांकन की जांच के समय या एनआरसी/निदेशक मंडल द्वारा दी गई सलाह के अनुसार उम्मीदवारों से अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज मांग सकता है.

(डी) व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनबद्धता (पीडीयू फॉर्म) को 1 नवंबर, 2007, 23 मई, 2011 और 24 नवंबर, 2016 के `उचित और उपयुक्त' दिशा-निर्देशों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 2 अगस्त 2019 की अधिसूचना संख्या डीबीआर.एपीपीटी.सं.: 9/29.67.001/2019-20 और प्रासंगिक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएसबी के बोर्डों पर निर्वाचित निदेशकों के लिए `उचित और उपयुक्त' मानदंड पर आरबीआई मास्टर निदेशों के अनुसार बोर्ड/निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा समुचित सावधानी जांच के अधीन किया जाएगा.

(ई) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा जांच के पश्चात, यदि चुनाव तक भरे जाने वाले वैध नामांकन केवल दो हैं, तो इस प्रकार नामांकित (निर्वाचित माने जाने वाले) उम्मीदवार का नाम एजीएम में बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा 9(3)(i) के साथ पठित सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 25(2ए) के अनुसार संकल्प के माध्यम से एजीएम नोटिस के मद संख्या 6 के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा, जिसमें केवल केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक ही मतदान करने के हकदार होंगे। निर्वाचित माने जाने वाले उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के विशेष संकल्प को शेयरधारकों द्वारा अपेक्षित बहुमत से अनुमोदित किया जाएगा.

(एफ) चुनाव होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकन दो से अधिक हैं, तो चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा तथा उसका नाम और पता समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा.

26 ए. निदेशकों के पद का कार्यकाल

मौजूदा रिक्ति को भरने के लिए चुने गए निदेशकों को दिनांक 16 जुलाई, 2024 से पदभार ग्रहण करने वाला माना जाएगा (यदि जांच के दौरान केवल दो वैध उम्मीदवार पाए जाते हैं). यदि जांच के बाद दो से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए जाते हैं, तो बैठक की तिथि को एक निदेशक के लिए रिक्ति भरी जाएगी और दूसरा निदेशक 29 जुलाई 2024 से पदभार ग्रहण करेगा.

योजना के खंड 9(4) और आरबीआई मास्टर निर्देशों के अनुसार, एक निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों तक पद पर रहेगा और पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि कोई भी निदेशक किसी भी प्रासंगिक श्रेणी के तहत छह वर्ष से अधिक अवधि के लिए लगातार या बीच-बीच में पद पर न रहे.

26 बी. निदेशक को हटाना

शेयरधारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 9(3बी) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत चुने गए निदेशक, जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और धारा 9(3एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, को हटाने का अधिकार है

26 सी. चुनाव विवाद

इस संबंध में यदि कोई विवाद होता है, तो उसका निपटारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा.

व्याख्यात्मक विवरण

मद क्रमांक 3:

पूंजी की उगाही:

बैंक का कारोबार बैंकिंग एवं उससे संबद्ध सेवा गतिविधियों से हैं. वर्तमान में, बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु.10000 करोड़ हैं. दिनांक 31 मार्च, 2024 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 7,633.60 करोड़ थीं.

क्यूआईपी के पश्चात, बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 74.76% है.

यथा 31 मार्च, 2024 जोखिम भारित आस्तियों की पूंजीगत निधि निम्नानुसार हैं:

पूंजी पर्याप्तता अनुपात बासल III (रु. करोड़ में)

मापदंड	दिनांक 31 मार्च, 2024 आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
कुल जोखिम भारित आस्तियां	लागू नहीं	6,64,188	5,78,455
कुल पूंजीगत निधि		1,12,689	92,778
सीईटी 1 पूंजी		90,693	71,492
टियर 1 पूंजी		99,622	80,478
सीआरएआर (%)	11.50	16.97	16.04
सीईटी 1 (%)	8.00	13.65	12.36
टियर 1 (%)	9.50	15.00	13.91
टियर 2 (%)	2.00	1.97	2.13

नोटः आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क में 2.50 प्रतिशत सीसीबी (पूंजी संरक्षण बफर) सहित (सीआरएआर, सीईटी 1 एयूआर टियर 1) शामिल है. टियर II अनुपात के लिए कोई न्यूनतम नहीं है.

कारोबार आस्तियों की बढ़ोत्तरी हेतु बासल III दिशानिर्देशों के अधीन पूंजी को बनाए रखने एवं नियंत्रित अनुपात अपेक्षाओं की प्राप्ति हेतु विकास अनुमानों के आधार पर आपके निदेशकों ने **रु. 10,000 करोड़ (रूपये दस हजार करोड़ मात्र)** की पूंजी जुटाने का फैसला किया है.

लक्षित कारोबार वृद्धि के विकास एवं उसकी प्राप्ति और सामान्य उधारी के उद्देश्य हेतु विनियामक अनुपालन एवं अतिरिक्त पूंजीगत निधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा पूंजी प्रदान किए जाने के साथ-साथ बैंक द्वारा इक्विटी पूंजी जुटाने के विकल्पों जैसे सार्वजनिक निर्गम (फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू) और/या राइट इश्यू और/या पात्र संस्थागत नियोजन सहित निजी नियोजन और/या भारत सरकार को अधिमानित आबंटन तथा/या अन्य नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है. बढ़ी हुई पूंजी का प्रयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्य के लिए किया जाएगा.

यदि क्यूआईपी के द्वारा प्रतिभूतियों को जारी किया जाना है तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप किया जाएगा.

बैंक एक या एक से अधिक किश्तों में निजी नियोजन/सार्वजनिक निर्गम आधार पर गौण डिबेंचर, बॉन्ड और/या अन्य ऋण प्रतिभूतियों / ग्रीन बॉन्ड आदि. सहित, लेकिन इन तक सीमित नहीं, स्थायी ऋण लिखतों, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की संख्या बढ़ा सकता है, जिसे आरबीआई और सेबी (गैर परिवर्तनीय प्रतिभूति जारी करना एवं सूचीबद्ध करना), 2021 के साथ अनुपालन में निर्धारित एवं वर्गीकृत किया गया है टियर I और टियर II को भी वर्गीकृत किया गया है.

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) के अनुसार यदि बैंक द्वारा पुनः कोई निर्गम या ऑफर जारी किया जाता है तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर इन्हें ऑफर किया जाएगा, यदि सामान्य बैठक में शेयरधारकों ने अन्यथा निर्णय न लिया हो. उक्त प्रस्ताव के पारित होने की स्थिति में यह बैंक की ओर से बैंक के निदेशक मंडल को अन्यथा न होने की स्थिति में वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर शेयर जारी एवं आबंटित करने के लिए अनुमति देगा.

अतः उपर्युक्त कारणों के लिए, एक संकल्प पारित करना प्रस्तावित हैं जिसमें बोर्ड पर्याप्त लचीलापन और विवेक से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप दे सके.

वर्तमान संकल्प प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मण्डल उचित समय, माध्यम, प्रीमियम एवं अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी कर सकें. एक बार प्रस्तावित संकल्प पारित हो जाने पर, इसी तर्ज पर पूर्व में बैंक के शेयरधारकों द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2023 को आयोजित वार्षिक महासभा बैठक में पारित संकल्प का, यह अधिक्रमण करेगा.

विशेष संकल्प के अनुरूप प्रस्तावित इक्विटी शेयरों को लागू सभी विधिक प्रावधानों के अनुरूप जारी किया जाएगा.

आपके निदेशक गण इस कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं.

बैंक के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति एवं उनके रिश्तेदारों को शेयरधारिता तक, यदि कोई हो, उपर्युक्त संकल्प (पों) से सम्बद्ध और इच्छुक माना जाएगा.

मद क्रमांक 4:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री संजय रुद्र (डीआईएनः 09650826) की नियुक्ति

श्री संजय रुद्र (डीआईएनः 09650826) को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और उपक्रम का अंतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9(3)(ए) के तहत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.नं. 4/1(i)/2023-बीओ.आई दिनांक 9 अक्तूबर, 2023 द्वारा अधिसूचना की तिथि अर्थात 9 अक्तूबर, 2023 से उनकी सेवानिवृति की तिथि (अर्थात 30 जून, 2026) या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था. तदनुसार, श्री संजय रुद्र दिनांक 9 अक्तूबर, 2023 से बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक का पद संभाल रहे हैं.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, के विनियम 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाना है.

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री संजय रुद्र की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है.

श्री संजय रुद्र को बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं जैसे क्रेडिट, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, एमएसएमई और एकीकृत जोखिम विभाग में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध अनुभव है. आप एल एवं डी वर्टिकल के प्रभारी थे और आपके पास डिजिटल लेंडिंग के विकास परीक्षण का अतिरिक्त प्रभार भी था.

आपके पास भौतिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री और वेलिंगकर संस्थान से वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा है. आप आईआईबीएफ के सहयोगी सदस्य हैं. आपने एफएसआईबी द्वारा संचालित आईआईएम, बेंगलूरु में नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लिया. आपने केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यूएसए के सहयोग से आईएसबी हैदराबाद द्वारा आयोजित वैश्विक उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में भी भाग लिया है.

श्री रुद्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बैंक के वरिष्ठ नेतृत्व में बदलाव की अगुआई करने के लिए एक सक्रिय सहयोगी थे. आपने महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड(बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सहायक कंपनी) के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंधः शून्य
- सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक के तौर परः शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता / अध्यक्षताः शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिताः शून्य
- श्री संजय रुद्र के कौशल/निपुणता/क्षमताओं को बैंक कारोबार के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा पहचाना गया है और तदनुसार बैंक के बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है.

  श्री संजय रुद्र को छोड़कर, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, संकल्प से संबंधित नहीं हैं.

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की सिफ़ारिश करता है.

मद क्रमांक 5:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पंकज द्विवेदी की नियुक्ति

श्री पंकज द्विवेदी को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और उपक्रम का अतंरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9(3)(ए) के तहत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.नं. 4/3/2023-बीओ.आई दिनांक 27 मार्च, 2024 द्वारा अधिसूचना की तिथि अर्थात दिनांक 27 मार्च, 2024 से तीन साल तक की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था. तदनुसार, श्री पंकज द्विवेदी 27 मार्च, 2024 से बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक का पद संभाल रहे हैं.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, के विनियम 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाना है.

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर बैंक के कार्यपालक निदेशक निदेशक के रूप में श्री पंकज द्विवेदी की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है.

श्री पंकज द्विवेदी ने पुणे के सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेंजमेंट स्टडीज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्ट्रस की डिग्री हासिल की है और आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं. आपने आईआईएम, रायपुर से एप्लाइड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट प्रोग्राम पूरा किया है और आईबीए और एगॉन झेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श से बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा तैयार आईआईएम बैंगलोर के लीडरशीप डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी पूरा किया है.

पंजाब एंड सिध बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान, आपको बैंकिंग के विभिन्न विभागों में काम करने का समृद्ध अनुभव है. आपने प्रधान कार्यालय में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, खुदरा ऋण, विधि एवं वसूली, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट क्रेडिट, बोर्ड सचिवालय, आयोजना एवं विकास, विदेशी मुद्रा, को-लेंडिंग कक्ष आदि जैसे विभिन्न कार्यों को संभाला है. वे आईआईएफसीएल म्यूचुएल फंड के ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी भी हैं.

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंधः शून्य
- सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक के तौर परः शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता / अध्यक्षताः शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिताः शून्य
- श्री पंकज द्विवेदी के कौशल/निपुणता/क्षमताओं को बैंक कारोबार के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा पहचाना गया है और तदनुसार बैंक के बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है.

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की सिफ़ारिश करता है.

मद क्रमांक 6: दो निदेशकों का चुनाव

दिनांक 26.02.2024 को अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन के तहत निर्गम पर बैंक द्वारा शेयरों के आबंटन के पूरा होने के बाद भारत सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के पास वर्तमान में बैंक की शेयर पूंजी के 25.24% भाग पर अधिकार है. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (आई) के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक के निदेशक मंडल में बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम दो निदेशक रखने का हकदार है.

22 वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

वर्तमान में बैंक के निदेशक मंडल में से एक शेयरधारक निदेशक का कार्यकाल दिनांक 27 जून, 2024 को समाप्त हो रहा है और एक अन्य शेयरधारक निदेशक के लिए, यह कार्यकाल दिनांक 28 जुलाई, 2024 को समाप्त हो रहा है और उपरोक्त अधिनियम के अनुसार, उपर्युक्त रिक्ति को भरने के लिए केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों द्वारा दो शेयरधारक निदेशकों का चुनाव किया जाना आवश्यक है.

तदनुसार, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक के चुनाव के लिए आवश्यक संकल्प पारित करने के लिए एजीएम की सूचना में कार्यसूची का एक मद शामिल किया गया है.

अतः शेयरधारक (केंद्र सरकार के अलावा) विभिन्न और संगत अधिनियम/ स्कीम/ विनियमों/ अधिसूचना/ भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेशों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने के पात्र हैं, जिनके संगत भाग यहां दर्शाए गए हैं. किसी निदेशक का चुनाव या तो नामांकनों की जाँच के बाद किया जाएगा, (यदि वैध नामांकन की संख्या रिक्तस्थानों की संख्या के बराबर है) तथा यदि वह बैंक के निदेशक मंडल/ निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा उचित एंव उपयुक्त पाया जाता है तो वह निर्वाचित माना जाएगा/ गी तथा जिस तारीख को उसे निर्वाचित माना जाता है उसके बाद की तारीख को वह पद ग्रहण करेगा/ गी या यदि बैंक के निदेशक मंडल/ निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिक प्रतियोगी उचित एंव उपयुक्त पाए जाने पर दिनांक 26 जुलाई, 2024 को बाद के चुनाव में निदेशक का चुनाव किया जाएगा. इस तरह के चुनाव के बाद उच्चतम वोट प्राप्त करने के आधार पर, वह दिनांक 29 जुलाई, 2024 से पद ग्रहण करेगा और पद ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा.

इसके अलावा, अन्य निदेशक या तो नामांकन की जांच के बाद (यदि वैध नामांकन की संख्या रिक्तियों की संख्या के बराबर है) निर्वाचित किया जाएगा, जो बैंक के बोर्ड / निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा उपयुक्त एवं उचित पाए जाने के अधीन है, तो वह 29 जुलाई, 2024 को निर्वाचित माना जाएगा एवं पदभार ग्रहण करेगा या 26 जुलाई, 2024 को बाद के चुनाव में, यदि अधिक प्रतियोगी हैं, जो बैंक के बोर्ड / निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा उपयुक्त एवं उचित पाए जाने के अधीन है, जैसा भी मामला हो. उच्चतम वोट प्राप्त करने के आधार पर ऐसे चुनाव के बाद, वह 29 जुलाई, 2024 से पदभार ग्रहण करेगा और पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पदस्थ रहेगा. निर्वाचित उम्मीदवार(ओं) के विशेष प्रस्ताव को शेयरधारकों द्वारा एजीएम में अपेक्षित बहुमत से अनुमोदित किया जाएगा.

1. कानूनी प्रावधान

अधिनियम/योजना/ विनियम/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एनई)	• सारभूत हित
	धारा 16 (1)	• सामान्य निदेशकों को निषेध
	धारा 20	• किसी निदेशक को या उसकी और से कोई ऋण या अग्रिम दिये जाने पर प्रतिबंध
	धारा 51	• अधिनियम की कुछ धाराओं की संगत नए बैंक पर प्रयोज्यता.
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2 ई)	• मतदान अधिकार पर प्रतिबंध
	धारा 9 (3) (i)	• शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या
	धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) तक, धारा 9 (3एए)	• कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान
		• कोई व्यक्ति निदेशक चुने जाने के लिए उस समय तक योग्य नहीं होगा यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकार्ड, ईमानदारी और अन्य ऐसे मानदंडो पर खरा (उचित एवं उपयुक्त) नहीं उतरता.
	धारा 13(2)	• गोपनियता व निष्ठा का दायित्व

अधिनियम/योजना/ विनियम/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 10	• बैंक के निदेशक चुने जाने की अपात्रताएं
	खंड 11	• कार्यालय का निदेशक पद खाली होना
	खंड 11ए	• चुने गये निदेशक को हटाया जाना
	खंड 11 बी	• चुने गये निदेशक की रिक्त पद भरा जाना
	खंड 12(8)	• अपने हित वाली कतिपय व्यवस्थाओं में निदेशकों के अपने हितों का प्रकटन.
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर व बैठक) विनियम, 1998	विनियम 10	• चुने गये निदेशकों का कार्यकाल
	विनियम 10	• सयुंक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग
	विनियम 61	• आम बैठक में वोट डालना
	विनियम 61ए	• मतदान में जांचकर्ता
	विनियम 61बी	• मतदान का तरीका और उसका परिणाम
	विनिययम 63	• आम बैठक में चुने जाने वाले निदेशक
	विनिनियम 64	• शेयरधारकों की सूची
	विनियम 65	• चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन
	विनियम 66	• नामांकन की जांच
	विनियम 67	• चुनावी विवाद
	विनिययम 68	• वोट देने के अधिकारों का निर्धारण
	विनियम 69	• विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान
	विनियम 70	• परोक्षी
आरबीआई अधिसूचना संख्या डीबीओडी सं. बीसी.सं. 46 /29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर 2007 और सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई 2011 और सं.डीबीआर.एपीपीटी.बीसी. सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 और पीएसबी के बोर्डस पर निर्वाचित निदेशकों के लिए `उचित एवं उपयुक्त" मानदंड पर आरबीआई मास्टर निदेश अधिसूचना सं.डीबीआर.एपीपीटी.सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 के माध्यम से जारी किए गए.	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3एए) और धारा 9 (3ए बी) के अनुसार.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड हेतु चुने गये निदेशकों के लिए उचित एवं उपयुक्त का मानदंड
बैंक के बोर्ड में अपने सरकारी नामित निदेशकों के माध्यम से सलाह के रूप में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय तथा भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संदर्भ सं. एफ. सं.16/83/2013-बीओआई दिनांक 03 सितंबर, 2013 तथा भारत सरकार के संदर्भ संख्या एफ. सं.16/51/2012-बीओ.आई दिनांक 28 अप्रैल, 2015 तथा दिनांक 20 जुलाई, 2016 के दिशानिर्देश, जिन्हें 25 मार्च, 2015 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचार करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के साथ पढ़ा गया (इसके बाद इन्हें "भारत सरकार के दिशानिर्देश" कहा जाएगा तथा इसमें आगे संशोधन, यदि कोई हो)	बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिकतम पारदर्शिता और जनहित में करने के लिए शेयरधारक निदेशक का चुनाव करने के लिए, इस दिशा में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में 1 जून, 2011 के दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखकर उम्मीदवारों की उचित एवं उपयुक्त स्थिति का निर्धारण किया जाना चाहिए और बाद में इसमें उल्लिखित संबंधित संशोधन किए जाने चाहिए.	
भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015	निदेशकों के संबंधियों को ऋण व अग्रिम देना.	
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015	स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान	

2. भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी, 2021

भारत सरकार ने दिनांक 25 जनवरी 2021 की अधिसूचना के माध्यम से एक विशेष प्रावधान (खंड 14ए) को सम्मिलित करके राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 में संशोधन किया, जिसमें कहा गया है: जहां किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को कानून द्वारा कोई कार्य करने की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए प्रतिभूतिधारकों की सिफारिशों या निर्धारण, या शिकायतों का समाधान, या किसी भी नियुक्ति के संबंध में या बैंक के निदेशक मंडल की किसी भी समिति द्वारा अनुमोदन या समीक्षा आवश्यक है, और यदि निदेशक मंडल संतुष्ट है कि ऐसी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति ऐसी समिति में किसी रिक्ति के अस्तित्व के कारण या उसके सदस्य द्वारा अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो निदेशक मंडल वह कार्य कर सकता है.

उपर्युक्त के अनुसार, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मंडल को कोई कार्य करने के लिए या प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के समाधान के लिए, या किसी नियुक्ति के संबंध में जो अनुमोदन या समीक्षा विधि द्वारा करना आवश्यक है, निदेशक मंडल की समिति की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है, बशर्ते कि निदेशक मंडल इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति या तो ऐसी समिति में किसी रिक्ति के कारण या उसके सदस्य द्वारा अलग हो जाने के कारण पूरी नहीं हो पा रही है.

3. भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 और 08 जुलाई, 2016

जैसा कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 3 सितंबर, 2013 के अपने पत्र के तहत सलाह दी गई है, निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति शेयरधारक निदेशक की उचित एवं उपयुक्त स्थिति का निर्धारण करते समय गैर-सरकारी निदेशकों (एनओडी) की नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखेगी. भारत सरकार ने दिनांक 28 अप्रैल, 2015 और 20 जुलाई, 2016 के अपने पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिनांक 25 मार्च, 2015 और 20 जुलाई, 2016 के संशोधित दिशानिर्देश और 8 जुलाई 2016 के संशोधन भेजे हैं, जिनका सार निम्नानुसार है:

ए) सामान्य

i. संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नामांकन किए जाएंगे.

ii. नामांकित व्यक्तियों की उपयुक्तता का आकलन औपचारिक योग्यता और विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा आदि के संदर्भ में किया जा सकता है. सत्यनिष्ठा और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए, आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋणों को आगे बढ़ाने के लिए की गई नागरिक कार्रवाइयों, पेशेवर निकायों में प्रवेश से इनकार या निष्कासन, नियामकों और इसी तरह के निकायों द्वारा लागू प्रतिबंधों और पिछले संदिग्ध व्यावसायिक प्रथाओं आदि पर भरोसा किया जाएगा.

बी) अनुभव

i. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहयोग, अर्थशास्त्र, कारोबार प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर आमतौर पर विचार किया जाएगा. किसी वरिष्ठ पद पर उद्योग के 20 वर्षों का अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञता (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व, एक असफल संगठन में सफल बनाना) को प्राथमिकता दी जाएगी.

ii. सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जिनके पास संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर 20 वर्षों का कुल अनुभव और न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो. सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/कार्यकारी निदेशकों को जिस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से वे सेवानिवृत्त हुए हैं उसके निदेशक मंडल में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा. पीएसबी के सेवारत सीएमडी/ईडी को किसी अन्य पीएसबी के निदेशक मंडल में एनओडी के रूप में नियुक्त करने पर विचार नहीं किया जाएगा.

iii. शिक्षाविद, प्रमुख प्रबंधन बैंकिंग संस्थानों के निदेशक और 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर.

iv. 20 साल के अनुभव (ऑडिट अनुभव को छोड़कर) वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट को भी प्राथमिकता दी जाएगी.

v. हालांकि, योग्यता के आधार पर असाधारण मामलों में वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव मानदंड में छूट दी जा सकती है.

जहां तक संभव हो महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए.

सी) शिक्षा

एनओडी को कम से कम किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना चाहिए, अधिमानतः कारोबार प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता के साथ.

डी) आयु

खोज समिति द्वारा सिफारिश की तारीख को निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

ई) कार्य अनुभव

व्यावसायिकों/शिक्षाविदों के पास सामान्यतः अपने विशेष क्षेत्र में 20 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए.

एफ) निरर्हता

i. किसी भी श्रेणी के तहत बैंक/वित्तीय संस्थान (एफआई)/आरबीआई/बीमा कंपनी में पहले से ही कार्यरत निदेशक को किसी अन्य बैंक/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है.

ii. किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, लीजिंग और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकरों को बैंकों/एफआई/आरबीआई/बीमा कंपनियों के बोर्डों में गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा. किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, लीजिंग और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में निवेशकों को, यदि उनके पास ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है, एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा,.

iii. किसी भी व्यक्ति को किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/भारतीय रिजर्व बैंक/बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में एनओडी के रूप में पुनः नामित नहीं किया जा सकता है, जिसमें उसने पूर्व में किसी भी श्रेणी के तहत दो कार्यकाल या छह वर्षों के लिए, जो भी अधिक हो, निदेशक के रूप में कार्य किया है.

iv. यदि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म वर्तमान में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में लगी हुई है, तो उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का कोई भी भागीदार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/पीएसबी में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

v. यदि चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म वर्तमान में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में लगी हुई है, तो उसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों का कोई भी भागीदार उसी बैंक में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होना चाहिए.

जी) कार्यकाल

किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/भारतीय रिजर्व बैंक/बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए किसी गैर सरकारी निदेशक पर विचार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/भारतीय रिजर्व बैंक/बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में छह वर्षों के लिए लगातार या अंतराल पर एनओडी/शेयरधारक-निदेशक रहा हो.

एच) कारोबारी प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 (डी) के तहत सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक में लाभ के पद की तुलना में कारोबारी प्रतिबंध के मुद्दे की अलग से जाँच की जाए.

आई) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में देश के सभी छह अंचलों-उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर का एक साथ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए.

अधिनियमों/योजना/विनियमनों/अधिसूचना का उद्धरण

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद "योजना" के रूप में संदर्भित) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 (इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित) के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में निर्वाचित निदेशकों के लिए उचित एवं उपयुक्त मानदंड के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का मास्टर निर्देश अधिसूचना सं. डीबीआर.एपीपीटी. सं.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019, अधिसूचना संख्या डीबीओडी. बीसी. सं.46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर, 2007, सं.डीबीओडी.बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 और सं.डीबीआर.एपीपीटी बीसी. संख्या 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 तथा भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संदर्भ संख्या एफ.सं.16/83/2013-बीओआई दिनांक 03 सितंबर, 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचार के लिए सरकार द्वारा 25 मार्च, 2015 को निर्धारित मानदंडों तथा बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भारत सरकार द्वारा जारी तत्पश्चात दिशानिर्देश के साथ पढ़ा गया.

ऐसे उद्धरण इच्छुक उम्मीदवारों को बैंक के केंद्रीय कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 महाराष्ट्र राज्य में कंपनी सचिव, निवेशक सेवा विभाग को संबोधित अनुरोध प्राप्त होने पर या नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि यथा मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई, 2021 को या उससे पहले investorservices@unionbankofindia.com पर ईमेल के माध्यम से मेल किया जाएगा.

निदेशकों का हित

बैंक के कोई भी निदेशक, केएमपी और उनके रिश्तेदार का कारोबार की उपर्युक्त मद में रुचि या संबंध नहीं है, सिवाय उनकी शेयरधारिता की सीमा तक और उन पात्र मौजूदा शेयरधारक निदेशकों के जो चुनाव लड़ सकते हैं. निदेशक मंडल ने आपके अनुमोदन के लिए विशेष संकल्प की शिफारिश की है.

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

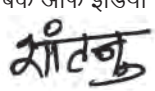

स्थान: मुंबई
दिनांक: 14.06.2024

(एस के दास)
कंपनी सचिव